जिला कलक्टर राजसमन्द

शराफ़त अली | विपक्षी आयुक्त राजसमन्द

नगरपालिका अपील संख्या | पत्रावली संख्या 01/2024 | पद

कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
15.04.25 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। निर्णय के क्रम में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 नगरपरिषद् राजसमन्द द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 7 के पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 मिसल संख्या 44 दिनांक 28.10.1995 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : प. 8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/22/9748 दिनांक 9.05.2022 अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73-बी की उपधारा (1) के तहत नगरपालिका द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध	

उपधारा (५) के अन्तर्गत
दायर अपीलों को सुनने
एवं निर्णित करने हेतु
राज्य सरकार की ओर
से निदेशक स्थानीय निकाय
विभाग को प्राधिकृत अधिकारी
नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना अनुसार
विचारणीय अपील का श्रवणाधिकार
इस न्यायालय को प्राप्त नहीं
है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
अपील का श्रवणाधिकार/क्षेत्रा-
-धिकार इस न्यायालय को
नहीं होने से अपील खारिज
की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार हो
दर्ज रजिस्टर नम्बर से
कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
राजसमन्द